(2018) 14 एस.सी.आर 860

जनहित मंच जरिये अपने अध्यक्ष भगवानी राययानी और अन्य

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और अन्य

(2010 की सिविल अपील संख्या 10192)

14 दिसंबर 2018

(रंजन गोगोई, मुख्य न्यायाधीश, संजय किशन कौल और के.एम.जोसेफ, न्यायाधीशगण)

भारत का संविधान–अनुच्छेद 226–महाराष्ट्र सरकार ने व्यापक झुग्गी–झोपड़ी पुनर्वास योजना शुरू की – रिट याचिका में अन्य बातों के साथ–साथ मौजूदा 1991 के विनियमों और हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) नीति की समीक्षा करने की प्रार्थना–उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश–अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय ने जांच की वर्तमान में उठाए गए मुद्दों का विस्तार से वर्णन किया गया है और जो भी संभव हो निर्देश जारी किए गए हैं। समस्या की विशालता को ध्यान में रखते हुए – स्थानीय समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही निपटाया जाना चाहिए – उच्च न्यायालय एक संवैधानिक न्यायालय है – राज्य न्यायालय स्थानीय मामलों को देखने के लिए सर्वोत्तम

रूप से सुसज्जित है, खासकर जहां राज्य या शहर के क्षेत्र विकास और ज़ोनिंग नियम लागू होते हैं प्रश्न में– समस्याएं और समाधान अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग हो सकते हैं– वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के लिए इन मामलों पर अपीलीय अदालत के रूप में बैठना उचित नहीं है, जब तक कि कुछ पेटेंट अवैधता नहीं दिखाई जाती है, या यह नहीं दिखाया जाता है कि संवैधानिक उल्लंघन है शासनादेश – यहां ऐसा कोई मामला नहीं बनता है महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम, 1966–5.2(94) ग्रेटर बॉम्बे के लिए विकास नियंत्रण विनियम, 1991।

सिद्धांत/सिद्धांत–शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत– चर्चा की गई।

न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया–

1.1 उच्च न्यायालय ने मामले की बहुत विस्तार से जांच की थी। इस बात पर ज़ोर देना भी उचित है कि स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही किया जाना चाहिंए। उच्च न्यायालय एक स वैधानिक न्यायालय है। राज्य न्यायालय स्थानीय मामलों को देखने के लिए सर्वोत्तम रूप से सुसज्जित है, खासकर जहां राज्य या शहर के क्षेत्र विकास और ज़ोनिंग नियम सवालों के घेरे में हैं। समस्याएँ और समाधान अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग हो सकते हैं। यह वास्तव में है इस न्यायालय को इन मामलों पर अपीलीय अदालत के रूप में बैठने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि कुछ पेटेंट अवैधता नहीं दिखाई जाती है, या यह नहीं दिखाया जाता है कि संवैधानिक आदेश का कोई उल्लंघन है। ऐसा कोई मामला नहीं बना, यहां अपीलकर्ता संख्या 2, अपीलकर्ताओं की ओर से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर, वास्तव में वह बात सामने रखना चाहता था जो वह सोचता है कि शहर के

लिए सबसे अच्छा होगा। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, अन्य बातों के अलावा, पर्यावरण पर अनुमोदन के बाद के प्रभाव के आकलन के लिए और न केवल ग्रेटर बॉम्बे के लिए विकास नियंत्रण विनियम, 1991 (डीसीआर) के पूर्व पर्यावरण प्रभाव के आकलन के लिए दलीलें उठाई गईं; झुग्गीवासियों को वैकल्पिक आवास प्रदान करने का कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया गया था, बल्कि यह केवल वोट बैंक की राजनीति थी, जैसा कि वैकल्पिक सी आवास प्रदान करने के लिए समय सीमा के बार–बार विस्तार से पता चलता है; नई विकास योजना भूमि मालिकों को फ़्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) प्रोत्साहन प्रदान करती रही; आयुक्त एफएसआई के संबंध में शक्तियों का प्रयोग विवेकाधीन अभ्यास के बजाय लगभग एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में करता है; कि मुंबई शहर में वाहनों के आवागमन में वृद्धि हुई है: कि एफएसआई में वृद्धि के कारण मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रवाह बढ़ गया है: कि प्रधानमंत्री आवास योजना जनसंख्या को "पक्के घर" प्रदान करेगी। जिसके परिणामस्वरूप और अधिक घुसपैठ होगी।

1.2 उस समय की चुनी हुई सरकार, जिसके पास लोगों का जनादेश है, को नीतिगत मामलों का ध्यान रखना है। ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगरपालिका प्राधिकरणों, विधान सभाओं और निर्वाचित संसद के स्तर से शुरू होकर विभिन्न स्तरों पर एक लोकतांत्रिक संरचना है; उनमें से प्रत्येक को एक भूमिका निभानी है। पहलुओं में, जैसा कि तत्काल एफ मामले में प्रस्तुत किया गया है, एक परामर्शी प्रक्रिया हमेशा सहायक होती है, और वह प्रक्रिया जो पहले ही शुरू की जा चुकी है। अपीलकर्ता संख्या 2 के दर्शन को सरकार की अनिवार्य नीति के रूप में प्रसारित नहीं किया जा सकता है, जो कि प्रार्थनाओं पर जारी किए जाने वाले परमादेश से होगा। व्यक्तियों का दृष्टिकोण

अलग–अलग हो सकता है, लेकिन यदि निर्वाचित निकाय जिनके पास नीति निर्माण की शक्तियां हैं, उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के आदर्शों से हटा दिया जाएगा, तो स्थिति अराजक हो जाएगी। नीतियां बनाई गईं और कानून बनाए गए। जब तक वे भारत के संविधान का उल्लंघन नहीं करते, अपीलकर्ताओं के आदेश पर इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अपीलकर्ता इस बिंदु से पूरी तरह चूक गए हैं। उच्च न्यायालय पहले ही वर्तमान मामले में उठाए गए मुद्दों की विस्तार से जांच कर चुका है और जो भी संभव था, उसे ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किए हैं। समस्या की विशालता। इससे अधिक कुछ भी आवश्यक नहीं है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 10192/2010

(बॉम्बे उच्च न्यायालय 2010 के निर्णय और आदेश दिनांक 20.11.2006 की, 2003 की रिट याचिका (पीआईआई) संख्या 637 में से।)

अतुल यशवन्त चितले, वरिष्ठ वकील, सुश्री एकता कपिल, सुश्री अनुराधा दत्त, सुश्री फ़रेश्ते डी. सेठना, सुश्री बी. विजयालक्ष्मी मेनन, श्रीमती वी.डी. खन्ना, विनय नवारे, सुश्री ग्वेन कार्तिका, सुश्री आभा आर. शर्मा, श्रीमती सुचित्रा अतुल चितले, सुश्री तन्वी कक्कड़, सुश्री शिवांगी खन्ना, सुश्री एन. अन्नपूर्णानी, एस. उदय कुमार सागर, सुश्री बीना माधवन , पीयूष द्विवेदी (एम/एस वकील एस निट एंड कंपनी के लिए), सुश्री दीपा एम. कुलकर्णी, निशांत रामाकांतराव कटनेश्वरकर, ई.सी. अग्रवाल, सुश्री डी चंदन राममूर्ति, सुश्री आशा गोपालन नायर, चिराग एम.श्रॉफ, सुश्री अनघा एस.देसाई, सलाहकार उपस्थित पक्षों के लिए।

श्री भगवानजी रैयानी, व्यक्तिगत रूप से अपीलकर्ता

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

संजय किशन कौल, न्यायाधीश

1. जहां तक नागरिक सुविधाओं का सवाल है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बढ़ती आबादी ने अपनी समस्याएं पैदा कर दी हैं। महानगरीय शहरों में समस्या और भी गंभीर हो गई है, जहां बेहतर आजीविका की संभावना के साथ आबादी का स्थानांतरण होता है। रोजगार के अवसरों की कमी ने लोगों को अपना घर–बार छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। वर्तमान मामले में हम जनसंख्या की ऐसी गतिशीलता के परिणामों से चिंतित हैं।

2. मुंबई को एक ऐसा शहर माना जाता है जो कई लोगों के सपनों को पूरा करता है। इस प्रकार जनसंख्या की आवाजाही कई गुना बढ़ गई है, जिससे नागरिक सेवाओं और खेल के मैदानों और सड़कों सहित खुले क्षेत्रों पर दबाव पड़ रहा है। सार्वजनिक भूमि पर उन लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है जो पलायन कर चुके हैं, या अन्यथा, और जिन्हें अपने निवास के लिए उचित आवास नहीं मिल सका। स्लम क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, जिससे सार्वजनिक भूमि तक पहुंच अवरुद्ध हो गई है। इसलिए, आवश्यक आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए घनत्व को बढ़ाने की आवश्यकता थी।

इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए राज्य द्वारा तैयार की गई एक पद्धति विकास अधिकार देने की थी, जैसा कि महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम, 1966 (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 2(9ए) में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार प्रदान करता है:

"(9ए) "विकास अधिकार" का अर्थ है विकास करने या भूमि या भवन या दोनों को विकसित करने का अधिकार और इसमें उपयोग योग्य भूमि के फ़्लोर स्पेस इंडेक्स का उपयोग करने के अधिकार के रूप में हस्तांतरणीय विकास अधिकार शामिल होगा। भूमि आंशिक रूप से किसी सार्वजनिक उद्देश्य या अन्यत्र के लिए आरक्षित है, जैसा कि इस संबंध में अंतिम विकास नियंत्रण विनियम प्रदान करते हैं।"

एक हस्तांतरणीय विकास अधिकार (इसके बाद "टीडीआर" के रूप में संदर्भित) एक स्वैच्छिक, प्रोत्साहन–आधारित कार्यक्रम है। जो भूमि मालिकों को अपनी भूमि से विकास अधिकार किसी डेवलपर या अन्य इच्छुक पार्टियों को बेचने की इजाजत देता है, जो इन अधिकारों का उपयोग बढ़ाने के लिए कर सकते हैं किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान पर विकास का घनत्व।

3. इस अवधारणा को समझने के लिए, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि इसका उद्देश्य उन निजी भूमि मालिकों को अलग तरीके से मुआवजा देना है, जिन्होंने अपनी भूमि का एक हिस्सा सरकार को हस्तांतरित कर दिया है, जब सरकार को ऐसी निजी भूमि की आवश्यकता होती है। मैदान, उद्यान, बस स्टैंड, सड़क आदि जैसी सार्वजनिक उपयोगिताओं के निर्माण या विस्तार के लिए भूमि। मुआवजे का वैकल्पिक तरीका, पैसे के भुगतान के बजाय टीडीआर है, जो बढ़े हुए फ़्लोर स्पेस इंडेक्स (इसके बाद) के संदर्भ में एक विकास क्षमता के अलावा और कुछ नहीं है इसे 'एफएसआई' कहा जाता है, जो सरकार द्वारा दिए गए भूमि के क्षेत्र के बदले में दिया जाता है, जो विकास अधिकार प्रमाणपत्र (इसके बाद डीआरसी के रूप में संदर्भित) के रूप में प्रदान किया जाता है। ऐसा टीडीआर या डीआरसी परक्राम्य है और इसे विचार के लिए स्थानांतरित

किया जा सकता है।, अधिग्रहीत भूमि के मालिक के लिए यह खुला छोड़ दिया गया है कि वह या तो टीडीआर का उपयोग स्वयं के लिए कर सकता है या इसे खुले बाजार में बेच सकता है।

4. वर्तमान विवाद के संदर्भ में जिस अन्य अवधारणा से निपटना होगा वह फ्लोर एरिया अनुपात (इसके बाद 'एफएआर' के रूप में संदर्भित) की है, जो एक इमारत के कुल फ्लोर एरिया (कुल फ्लोर एरिया) का अनुपात है। भूखंड का कुल क्षेत्रफल। एफएआर की अवधारणा का उपयोग शहरी घनत्व को सीमित करने के लिए ज़ोनिंग प्रक्रिया में किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अक्सर एफएआर और एफएसआई को विनिमेय शब्दावली के रूप में उपयोग किया जाता है और जो ध्यान में रखा जाता है वह वहन क्षमता/बुनियादी ढांचा है और एक क्षेत्र की सुविधाएं, जो बदले में, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और क्षेत्र के निवासियों के जीवन के अधिकार पर सीधा प्रभाव डालेगी।

उदाहरण के तौर पर, यदि भूमि का एक भूखंड 1000 वर्ग मीटर का है और अनुमेय एफएसआई 1 है, तो उस भूमि के भूखंड पर लगभग 1000 वर्ग मीटर का निर्माण करने की अनुमति है।

5. अब, विस्तारित मलिन बस्तियों की उपरोक्त उल्लिखित समस्या की ओर मुड़ते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करने और एफएसआई को प्रोत्साहन के रूप में अनुमति देने की एक अभिनव अवधारणा पेश करके एक 3 व्यापक स्लम पुनर्वास योजना शुरू की है। स्लम पुनर्वास टेनमेंट के क्रॉस–सब्सिडाइजेशन के लिए खुले बाजार में बिक्री के लिए टेनमेंट, जो स्लम–निवासियों को मुफ्त प्रदान किया जाना है। यह याचिका

ग्रेटर बॉम्बे, 1991 (इसके बाद 'डीसीआर' के रूप में संदर्भित) के लिए मौजूदा विकास नियंत्रण विनियमों की प्रभावी ढंग से समीक्षा करने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना से उत्पन्न हुई है। अपीलकर्ता नहीं, मैं व्यापक सार्वजनिक हित में राज्य और राष्ट्र से संबंधित कानूनी मुद्दों का समर्थन करने वाला एक गैर सरकारी संगठन होने का दावा करता हूं, जबकि दूसरा अपीलकर्ता पहले अपीलकर्ता का अध्यक्ष है। दलीलों और आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि मामले की जांच करने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के सामने जो प्राथमिक प्रश्न आया, वह यह था कि क्या राज्य, सार्वजनिक और निजी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को आवास प्रदान करने में वित्तीय असमर्थता के कारण, 1.1.1995 से पहले निर्मित संरचनाओं में रहने वाले, एफएसआई को 1 से 2 तक बढ़ाने की अनुमति देकर, मुंबई के उपनगरों में उपयोग किए जाने वाले बिल्डरों को टीडीआर दे सकते थे। यह बेदखली से दी गई सुरक्षा और असमर्थता के कारण हुआ था। राज्य को पार्कों, उद्यानों, फुटपाथों और सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त करना था, जिसके लिए, सरकार की बुद्धिमत्ता के अनुसार, उन्होंने 1.1.1995 की कट–ऑफ तारीख चुनी। मूल प्रार्थनाओं से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की चिंता टीडीआर के अनुदान को रोकने की थी। कुछ निर्दिष्ट क्षेत्र इस प्रकार हैं:

"(i) पश्चिम रेलवे की पटरियों और स्वामी विवेकानन्द रोड के बीच

(ii) पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी एक्सप्रेस राजमार्ग की पटरियों के बीच:

(iii) मध्य रेलवे (मेन लाइन) और लाल बहादुर शास्त्री रोड की पटरियों के बीच।"

आपस में जुड़ी प्रार्थनाएं टीडीआर नीति की समीक्षा करने और बृहन्मुंबई नगर निगम के नगर आयुक्त को दी गई विवेकाधीन शक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए पैरामीटर निर्धारित करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं, वास्तुकारों, वकीलों, नौकरशाहों आदि के एक विशेषज्ञ निकाय निगम (इसके बाद 'बीएमसी' के रूप में संदर्भित) का गठन करने के लिए थीं, डीसीआर विनियमन संख्या 64 के तहत, विशेष रूप से खुले स्थानों और पार्किंग में रियायतों के मामलों में समिति के परामर्श से.

6. इसके बाद अपीलकर्ता ने संशोधनों के माध्यम से उपरोक्त विनियमन को चुनौती देने के लिए याचिका के दायरे का विस्तार किया, इस आधार पर कि यह भारत के संविधान के विपरीत था, और डीसीआर के परिशिष्ट VII ए और परिशिष्ट VII बी को रद्द कर दिया। जहां तक वे तीन निषिद्ध क्षेत्रों में विरासत और स्लम टीडीआर के उपयोग से संबंधित हैं। अपीलकर्ताओं की याचिका पर विचार करने के रास्ते में कई बाधाएं थीं। सबसे पहले, निवारा हक सुरक्षा समिति और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, दिनांक 16 अप्रैल, 1991 के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले से डीसीआर को चुनौती पहले ही खारिज कर दी गई थी। हालाँकि, यह कहा जा सकता है उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा एक विंडो प्रदान की गई थी, जिसने विवादित आदेश में कहा था कि भारत के संविधान के भाग III के उल्लंघन के मामले में चुनौती की अनुमति देना स्वीकार्य था।

7. दूसरा पहलू यह था कि अपीलकर्ता मुंबई में नए नहीं थे, और फिर भी जब 1991 में टीडीआर अवधारणा लागू की गई थी और जब इसे 1997 में संबंधित गलियारों में लागू किया गया था, तब भी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की थी। याचिका 2003 में केवल दायर की गई थी। इस अंतरिम अवधि में,

टीडीआर अवधारणा का बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन हुआ और भारी धन खर्च करके विभिन्न मलिन बस्तियों को साफ किया गया।

8. तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरा अपीलकर्ता स्वयं एक बिल्डर है जो दीपक विला, वल्लभ नगर सोसायटी, जे.वी.पी.डी. में टीडीआर के उपयोग से निर्मित एक इमारत में रह रहा था। याचिका दाखिल करने के समय स्कीम, मुंबई। जाहिर तौर पर, अपीलकर्ता नंबर 2 स्लम विनियमन योजना का लाभ पाने में विफल रहा था, और इस प्रकार उत्तरदाताओं द्वारा याचिका पर बचाव किया गया था कि यह एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास था, जिसे जनहित याचिका के रूप में प्रस्तुत किया गया था। दरअसल, याचिकाओं का मकसद संपत्तियों की कीमतों में हेराफेरी की कोशिश करना बताया गया था। कॉरिडोर क्षेत्रों में टीडीआर के उपयोग के परिणामस्वरूप पश्चिमी उपनगरों में कीमतों में काफी गिरावट आई है क्योंकि आवास क्षेत्र को बढ़ावा मिला है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं सहित बिल्डरों के वाणिज्यिक हितों को नुकसान पहुंचा है। मामला इस तथ्य से और भी बढ़ गया कि दूसरा अपीलकर्ता ला बिल्डे एसोसिएट्स, नाम की एक फर्म का भागीदार है, जिसने मुंबई के उपनगरों में कई परियोजनाओं को क्रियान्वित किया था। 2003 की एक रिट याचिका संख्या 1080 उक्त फर्म के नाम पर दायर की गई थी, जिसमें एक निविदा में प्रतिस्पर्धी पार्टी को टीडीआर देने का विरोध किया गया था। यह याचिका 28.4.2003 को खारिज कर दी गई। वर्तमान याचिका को उस हद तक अनुक्रमिक बताया गया है क्योंकि यह पिछली याचिका, यानी 2003 की रिट याचिका संख्या 1080, खारिज होने के बाद ही दायर की गई थी, और इस प्रकार पिछली कार्यवाही और निविदा में विफल रही, एक प्रयास इस वर्तमान याचिका के रूप में, दूसरी कार्यवाही में बनाया गया था।

9. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इन विभिन्न बाधाओं के बावजूद, इस मुद्दे को जाँचने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना, और यहाँ तक कि अदालत की सहायता के लिए एक न्याय मित्र भी नियुक्त किया। हालाँकि, उत्तरदाताओं ने दलील दी कि टीडीआर की अवधारणा का उपयोग करके, किसी भी उपनगर में 2 की एफएसआई की अनुमति देने से पहले उचित सोच–विचार किया गया था। ऐसे क्षेत्र में खुली जगह, जल आपूर्ति, सीवरेज और अन्य बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान दिया गया। जनसंख्या घनत्व में भारी वृद्धि के कारण ऐसी पद्धति का उपयोग करने और टीडीआर को नियोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था, टीडीआर नीति को वैधानिक स्वाद देने के लिए भी कहा गया था, क्योंकि यह धारा 9 (ए) और धारा 126 में निहित है। उक्त अधिनियम. इन प्रावधानों को कोई चुनौती नहीं दी गई थी। कहा गया था कि टीडीआर ने उपयोगिताओं, सुविधाओं, खेल के मैदानों, मनोरंजन के मैदानों आदि के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में काम किया है। टीडीआर की अवधारणा 1984 के ड्राफ्ट रेगुलेशन बिल में थी, जिसके बाद 1987 में डिसूजा समिति की सिफारिश की गई थी। उक्त सिफ़ारिशों को अंततः विकास नियंत्रण विनियमों में प्रतिबिंबित किया गया, जो मार्च 1991 में लागू हुआ। इन सभी में एक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की परिकल्पना की गई थी। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि आक्षेपित निर्णय इसके बारे में अत्यंत विस्तृत रूप से बताता है। आक्षेपित निर्णय एफ दिनांक 20.11.2006 के संदर्भ में, न्यायालय द्वारा विधायी कार्यों की समीक्षा के लिए अपील में नहीं बैठने पर सही रूप से जोर दिया गया था। न्यायालय ने माना कि केवल जब कोई कानून अपनी विधायी सीमाओं के भीतर रहने में विफल रहता है, तो अदालत के लिए उस कानून को रद्द करने का अवसर उत्पन्न होगा। वर्तमान मामले में ऐसा नहीं पाया गया। डीसीआर, जो विकास योजनाओं का

हिस्सा है, हर 20 साल में संशोधित किया जा सकता है, जो एक ऐसी परिस्थिति है जो मनमानी की किसी भी दलील को कम करती है। किसी कानून की अनुचितता के परीक्षण के परिणाम को "प्रकट मनमानी" की श्रेणी में आना चाहिए। न्यायिक समीक्षा के दायरे पर कई न्यायिक उदाहरणों का हवाला दिया गया है, और कोई उपयोगी नहीं है उनका पुन उल्लेख करने से उद्देश्य पूरा हो जायेगा।

10. उक्त अधिनियम और डीसीआर के प्रावधानों की बहुत विस्तार से जांच की गई है। व्यापक जनहित में, निम्नलिखित आशय के कुछ निर्देश जारी किए गए हैं:

> "(1) हमने देखा है कि पार्क, खेल के मैदान, खुले स्थान, जल आपूर्ति, स्वच्छता और सीवरेज निपटान, वायु की परिवेशीय गुणवत्ता और सार्वजनिक परिवहन के संदर्भ में मौजूदा बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है। सड़कों और रेलवे पर गंभीर भीड़भाड़ है, फिर भी अंतिम तिथि 1.1.1995 मानते हुए, जिसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और 1.1.1995 से पहले मलिन बस्तियों या संरक्षित संरचनाओं में रहने वाले लोगों के लिए स्लम पुनर्वास योजना के पीछे के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हमने अनुच्छेद 14 और 21 के तहत चुनौती को खारिज कर दिया।
>
> (2) प्रतिवादी संख्या 2 या प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विनियम 64 (बी) के तहत विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्राप्त शुल्क/मुआवजा, प्रदान करने के लिए एक अलग राजस्व शीर्ष के तहत रखे जाने का निर्देश दिया जाता है और मुंबई शहर में पार्कों, खेल के मैदानों, खुले स्थानों और

ऐसी अन्य सुविधाओं का रखरखाव करना। हालाँकि, जिन वार्डों से राजस्व एकत्र किया जाता है, पार्क, खेल के मैदान और ऐसी अन्य सुविधाओं के लिए प्रावधान करने के लिए उस राजस्व पर पहला अधिकार होगा, क्योंकि उन वार्डों से स्थान के आयामों को शिथिल करके राजस्व उत्पन्न किया जाता है।

(3) याचिकाकर्ताओं की शिकायतों पर विचार करते हुए कि प्रतिवादी संख्या 2 शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, प्रतिवादी संख्या 2 को अधिकारियों को नामित करके आज से आठ सप्ताह के भीतर प्रत्येक वार्ड में एक योजना के रूप में एक तंत्र स्थापित करना होगा। पोस्ट, जिन पर नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। उन शिकायतों पर निर्णय लेने के लिए बाहरी समय सीमा भी तय की जाए। इस तंत्र को प्रतिवादी नंबर 2 की वेबसाइट पर डाला जाएगा। इस तंत्र को अंग्रेजी भाषा के दो प्रमुख समाचार पत्रों और मराठी, हिंदी और गुजराती भाषाओं के एक समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जाएगा।

(4) हमने विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान को दर्ज किया है कि नई विकास योजना की प्रक्रिया 2008 में शुरू होगी। हालाँकि, हमने नोट किया है कि वर्ष 1991 में प्रकाशित विकास योजना के संबंध में, प्रक्रिया में काफी समय लग गया था। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी नंबर 1 को तंत्र स्थापित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने पर विचार करना चाहिए ''2011 के लिए नई विकास योजना की प्रक्रिया शुरू करना।"

11. हमने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुना है और सोचा है कि उसकी कौन सी शिकायत अभी भी बची हुई है! हमने विशेष रूप से उनसे यह प्रश्न इस तथ्य के संदर्भ में भी पूछा कि उच्च न्यायालय ने बी मामले की इतने विस्तार से जांच की थी। इस बात पर ज़ोर देना भी उचित है कि स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही किया जाना चाहिंए। उच्च न्यायालय एक सवैधानिक न्यायालय है। राज्य न्यायालय स्थानीय मामलों को देखने के लिए सर्वोत्तम रूप से सुसज्जित है, खासकर जहां राज्य या शहर के क्षेत्र विकास और ज़ोनिंग नियम सवालों के घेरे में हैं। समस्याएँ और समाधान अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग हो सकते हैं। यह वास्तव में इस न्यायालय के लिए इन मामलों पर अपीलीय अदालत के रूप में बैठने के लिए नहीं है, जब तक कि कुछ पेटेंट अवैधता नहीं दिखाई जाती है, या यह नहीं दिखाया जाता है कि संवैधानिक जनादेश का कोई उल्लंघन है। हमें यहां ऐसा कोई मामला नहीं मिला।

12. अपीलकर्ता नंबर 2, अपीलकर्ताओं की ओर से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर, वास्तव में वह बात सामने रखना चाहता था जो वह सोचता है कि शहर के लिए सबसे अच्छा होगा। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, अन्य बातों के साथ–साथ पर्यावरण पर अनुमोदन के बाद के प्रभाव के आकलन के लिए भी दलीलें उठाई गईं, न कि केवल डीसीआर के पूर्व पर्यावरण प्रभाव के आकलन के लिए; झुग्गीवासियों को वैकल्पिक आवास प्रदान करने का कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया गया था, बल्कि यह केवल वोट बैंक की राजनीति थी, जैसा कि ई वैकल्पिक आवास प्रदान करने के लिए समय सीमा के बार–बार विस्तार से पता चलता है; नई विकास योजना भूमि मालिकों को एफएसआई प्रोत्साहन प्रदान करती रही; आयुक्त एफएसआई के संबंध में

शक्तियों का प्रयोग विवेकाधीन अभ्यास के बजाय लगभग एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में करता है; कि मुंबई शहर में वाहनों की आवाजाही में वृद्धि हुई है; एफएसआई में वृद्धि के कारण मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रवाह बढ़ गया है; जनसंख्या को 'पक्का घर' प्रदान करने वाली प्रधान मंत्री आवास योजना योजना के परिणामस्वरूप मुंबई में और अधिक लोगों की आमद होगी, आदि।

13. हमें शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। उस समय की चुनी हुई सरकार, जिसके पास लोगों का जनादेश है, को नीतिगत मामलों का ध्यान रखना है। ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगरपालिका प्राधिकरणों, विधान सभाओं और निर्वाचित संसद के स्तर से शुरू होकर विभिन्न स्तरों पर एक लोकतांत्रिक संरचना है; उनमें से प्रत्येक को एक भूमिका निभानी है। पहलुओं में, जैसा कि तत्काल मामले में प्रस्तुत किया गया है, एक परामर्श प्रक्रिया हमेशा सहायक होती है, और वह प्रक्रिया जो पहले ही शुरू की जा चुकी है। अपीलकर्ता संख्या 2 के दर्शन को सरकार की अनिवार्य नीति के रूप में प्रसारित नहीं किया जा सकता है, जो यदि की गई प्रार्थनाओं पर एक परमादेश जारी किया जाए तो क्या होगा। व्यक्तियों का दृष्टिकोण अलग–अलग हो सकता है, लेकिन यदि निर्वाचित निकाय, जिनके पास नीति निर्माण की शक्तियां हैं, को प्रत्येक व्यक्ति के आदर्शों से हटा दिया जाएगा, तो स्थिति अराजक हो जाएगी। बनाई गई नीतियां और बनाए गए कानून, जब तक कि वे भारत के संविधान के विपरीत न हों, अपीलकर्ताओं के आदेश पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ता इस बिंदु से पूरी तरह चूक गए हैं।

14. हम इस बात पर स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में उठाए गए मुद्दों की पहले ही विस्तार से जांच कर ली है और समस्या की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, जो भी संभव हो, निर्देश जारी किए हैं। इससे अधिक कुछ भी आवश्यक नहीं है।

15. इस प्रकार, हम अपील को खारिज करते हैं और पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए खुला रखते हैं।

दिव्या पाण्डे

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण– इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।